कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, म0प्र0

पीठासीन अधिकारी – (रूप सिंह कनेल)

–:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 05.07.2023 ::–

मैं **रूप सिंह कनेल,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा(म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा (14) व (15) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 01.05.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम नं0–01 व कॉलम नं0–09 के क0–02 में से थाना सिविल लाईन को विलोपित कर थाना सिविल लाईन को कॉलम नं0–14 में प्रतिस्थापित करते हुए तथा कॉलम नं0–14 में से थाना समान व सगरा को विलोपित कर थाना सगरा को कॉलम नं0–06 में व थाना समान को 07 में प्रतिस्थापित करते हुए एवं आवश्यक निर्देश के क0–04 व **अनुलग्न–अ** में निम्नानुसार संशोधित आदेश प्रसारित करता हूं, जो मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

जिला मुख्यालय रीवा			
1.	**रूप सिंह कनेल** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा	**सिटी कोतवाली, चोरहटा, अमहिया एवं यातायात**	1. पुलिस **थाना सिटी कोतवाली, थाना चोरहटा, थाना अमहिया एवं थाना यातायात के** थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्रों एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) 2. मुख्यालय रीवा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न **खाद्य सुरक्षा** एवं **मानक अधिनियम** के प्रकरण। 3. रीवा जिला मुख्यालय में आबकारी विभाग द्वारा म0 प्र0 आबकारी अधिनियम के अतंर्गत उद्भूत प्रकरण। 4. संपूर्ण रीवा जिला की सीमाओं से संबंधित आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले समस्त प्रकरण। 5. रीवा राजस्व जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों एवं परिवहन विभाग से उद्भूत मोटर यान अधि0 के **ओव्हरलोड के प्रकरण**

Scanned with OKEN Scanner

			6. मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं पदस्थापना अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण नगर निगम की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। 7. रीवा जिला मुख्यालय के **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण। 8. तेजाब (एसिड) से कारित किए जाने वाले संपूर्ण रीवा जिले की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। 9. मेन्टल हेल्थ एक्ट 2017 से संबंधित प्रकरण। 10. अन्य ऐसे सभी प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख इस कार्य विभाजन में नहीं है।
2.	**श्री अक्षत तयाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा श्रीमती	–	1. पुलिस थाना **सिटी कोतवाली**, **बिछिया**, **गोविंदगढ़ व सगरा** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया। 2. पुलिस थाना **चोरहटा** के अंतर्गत उत्पन्न क्षेत्राधिकारिता वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र। 3. पुलिस **थाना चोरहटा** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे। 3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
3.	**श्रीमती पद्मिनी सिंह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	–	1. पुलिस थाना **विश्वविद्यालय**, **चोरहटा**, **अमहिया व समान** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया। 2. पुलिस थाना **अमहिया** के अंतर्गत उत्पन्न

Scanned with OKEN Scanner

			क्षेत्राधिकारिता वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र। 3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
4.	**श्री ललित कुमार मईड़ा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	**सगरा**	1. पुलिस थाना **सगरा** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर) 2. पुलिस थाना **सगरा** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र। 3. पुलिस **थाना सगरा** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे। 4. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
5.	**सुश्री चेतना झारिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	**थाना सिविल लाईन**	1. पुलिस **थाना सिविल लाईन** के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर) 2. पुलिस **थाना सिटी कोतवाली, अमहिया व चोरहटा** से उद्भूत प्रकरणों में पारित निर्णय व आदेश के संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय या मान्नीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त आपराधिक रिकॉर्ड या प्राप्त आदेश जिनमें अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन/निष्पादन संबंधी कार्यवही संपादित की जावेगी। 3. पुलिस **थाना सिविल लाईन** के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र। 4. पुलिस **थाना सिविल लाईन** के अंतर्गत उद्भूत

Scanned with OKEN Scanner

			एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे। 5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।

आवश्यक निर्देशः–

4. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के सबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो **रिक्त न्यायालय** से संबंधित हैं, उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उदभूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है (जिसमें धारा–138 एन0आई0ए0 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं) तथा यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी।

अनुलग्न–"अ"

सुश्री अदिति अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती पद्मिनी सिंह जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री चेतना झारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा

रीवा, दिनांक– 05.07.2023

(रूपसिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा (म0प्र0)

(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा (म.प्र.)
2. सुश्री/श्री...न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योंथर/हनुमना/मनगवां को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, रीवा (म.प्र.) की ओर से संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित ।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा, जिला–रीवा।

05.07.23

(रूपसिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner